

(1)

सिविल अपील क्र०-11/2015

न्यायालय- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला-भिण्ड

(समक्ष : पी०सी०आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 11/2015

संस्थापन दिनांक 15/06/2015

फाइलिंग नंबर-230303005572015

1. मनोज जाटव पुत्र रामस्वरूप जाटव
आयु 31 साल जाति जाटव निवासी नहर मौहल्ला
वार्ड क्र०-08 गोहद जिला भिण्डप्रतिवादी/अपीलार्थी

वि रू द्ध

1. कमलेश ओझा पुत्र रामस्वरूप ओझा
आयु 49 साल निवासी बरथरा गेट के पास
गोहद जिला भिण्डवादी/प्रत्यर्थीगण

न्यायालय-श्री गोपेश गर्ग व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, गोहद द्वारा व्यवहार वाद
क्रमांक-4-बी/14 ई०दी० में घोषित निर्णय दिनांक 30/04/15 से उत्पन्न
सिविल अपील।

प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।
वादी/प्रत्यर्थी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 09 दिसंबर 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील धारा-96 सी०पी०सी० 1908 के अंतर्गत न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 गोहद श्री गोपेश गर्ग द्वारा सिविल वाद क्रमांक 04-बी/14 ई०दी० में दिनांक 30/04/15 को प्रदत्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/प्रत्यर्थी का मूल वाद डिक्री करते हुए अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध धनराशि 75,000/-रुपये एवं उस पर अनुबंध दिनांक से 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भुगतान किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत है, कि तथ्य है, कि प्रतिवादी/अपीलार्थी और प्रत्यर्थी/वादी दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते हैं, तथा वे न्यायालय परिसर में पास-पास बैठकर स्टाम्प बेन्दरी का करोबार करते हैं। यह भी स्वीकृत है, कि प्र०पी०-03 का दस्तावेज थाना गोहद में उनके मध्य लेख किया गया था, जिस पर अपीलार्थी/प्रतिवादी के स्वीकृत हस्ताक्षर हैं, यह भी स्वीकृत है, कि लेनदेन के विवाद के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा पुलिस में शिकायत की गई थी, जिन पर जांच हुई थी और सिविल प्रकृति का विवाद होने से पुलिस द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया।

3. वादी/प्रत्यर्थी का वाद संक्षेप में स्वीकृत तथ्यों के अलावा इस प्रकार का रहा है, कि वादी/प्रत्यर्थी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है और अपीलार्थी/प्रतिवादी तहसील न्यायालय गोहद में संचालित उपपंजीयक कार्यालय में स्टाम्प के क्रय बिक्रय का व्यवसाय करता है, अपीलार्थी/प्रतिवादी ने उससे व्यवसाय एवं घरेलू खर्च के लिए रुपये की आवश्यकता होने से 75,000/-रुपये उधार कर्ज के रूप में लिए थे, जिसे उसने पूर्व परिचित होने के कारण विश्वास करके गवाहों के समक्ष नगद दिए थे और 15 दिन में वापिस करना अपीलार्थी/प्रतिवादी ने कहा था, किंतु वचन का पालन नहीं किया और रुपए वापिस नहीं किए तथा मांगने पर इन्कार कर दिया, तब दिनांक 25/01/11 को 100/-रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर उधार राशि की लिखापट्टी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी/प्रतिवादी ने प्रत्येक माह की 10 तारीख तक 2,000/-रुपए मासिक के हिसाब से भुगतान करना तय किया था, किंतु उसके बावजूद भी कोई भुगतान नहीं किया और टालमटोल करता रहा, तथा दिनांक 15/12/13 को स्पष्ट मना कर दिया, तब दिनांक 30/12/13 को उसने जिरए अभिभाषक मांग सूचनापत्र प्रतिवादी को भेजा जो प्रतिवादी/अपीलार्थी को प्राप्त हुआ, किंतु उसके बावजूद भी कोई राशि अदा नहीं की, जिसके कारण उत्पन्न हुए वादकारण के तहत उधार राशि 75,000/-रुपए (पिच्चतर हजार रुपये) मय ब्याज दिलाए जाने हेतु वाद पेश किया गया है।

4. प्रतिवादी/अपीलार्थी की ओर से मूल वाद का वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए वादी/प्रत्यर्थी के संपूर्ण अभिवचनों का प्रत्याख्यान करते हुए, इस आशय के अभिवचन किए कि, वादी/प्रत्यर्थी कमलेश ओझा मजदूरी नहीं करता है, बल्कि तहसील परिसर में स्टाम्प के बिक्रय का कार्य करता है और उसने कोई रुपए वादी/प्रत्यर्थी से उधार प्राप्त नहीं किए, न उधार रुपयों की कोई लिखापट्टी की गई, क्योंकि उधारी का दिन तारीख महीना सन् वादी ने नहीं बताई है, क्योंकि यदि उधार लिया जाता है, तो लिखापट्टी की जाती है, वादी/प्रत्यर्थी ने झूठे तथ्यों के आधार पर धन वसूली का वाद पेश किया है, जो सव्यय निरस्ती योग्य है। यह भी लेख किया है, कि दिनांक 25/01/11 को वादी/प्रत्यर्थी स्वयं स्टाम्प खरीद कर लाया था और उसने थाना गोहद के अंदर जबरदस्ती स्टाम्प पर पुलिस के दबाब में अपने हितबद्ध लोगों को शामिल करते हुए उसके हस्ताक्षर करा लिए, उसने स्वेच्छा से हस्ताक्षर नहीं किए, न कोई अनुबंध किया और जैसे ही वह थाने से बाहर गया था, तो उसने जबरदस्ती स्टाम्प पर कराए गए हस्ताक्षर के संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत की, जिसकी जांच हुई, लेकिन सिविल प्रकृति का विवाद होने से पुलिस ने कार्यवाही नहीं की, वादी/प्रत्यर्थी की संपूर्ण कार्यवाही छल कपट बेईमानी पर आधारित है, वादी/प्रत्यर्थी ने जो नोटिस दिया था उसका उचित प्रतिउत्तर उसके द्वारा तत्समय दिया गया था, उसका और वादी/प्रत्यर्थी का कभी कोई लेनदेन नहीं हुआ, वादी/प्रत्यर्थी ने साहूकारी विधान के विपरीत भी वाद पेश किया है, जो निरस्ती योग्य होना बताया है।

5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना करते हुए विचारण करते हुए गुणदोषों पर दिनांक 30/04/15 को घोषित निर्णयानुसार वादी/प्रत्यर्थी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से पेश की गई है।

6. अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपीलीय ज्ञापन में वादोत्तर के अभिवचनों को दोहराते हुए मूलतः यह आधार लिया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत की गई, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया और विधि के सुस्थापित सिद्धांत के प्रतिकूल जाकर वादी/प्रत्यर्थी का वाद उसके विरुद्ध डिक्री करने में तथ्य एवं विधि दोनों की भूल की गई है, तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिवचनों के अनुसार वादप्रश्नों की रचना नहीं की है और साक्ष्य में यही सिद्ध नहीं हुआ है, कि किस दिनांक को रूपए उधार दिए गए, न इसके बारे में कोई अभिवचन किए और प्र०पी०-03 का दस्तावेज थाने पर लिखाया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर धोखे व छल कपट से करा लिए स्वेच्छा से उसने प्र०पी०-03 की लिखापट्टी नहीं की, तथा प्र०पी०-03 का दस्तावेज उचित स्टाम्प पर निष्पादित नहीं है, क्योंकि ऋण संबंधी अनुबंधपत्र पर ऋण राशि के 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान है, जिसका अपालन हुआ है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्र०पी०-03 को स्वीकार कर गंभीर विधिक भूल की है, प्र०पी०-03 साक्ष्य में ग्राह्य योग्य दस्तावेज ही नहीं है तथा वादी/प्रत्यर्थी के अभिवचनों और साक्ष्य में विरोधाभास है अभिवचनों में गवाहों के समक्ष रूपए देना लेख किया है और साक्ष्य में वादी ने यह कहा है, कि जब रूपए दिए थे, तब कोई मौजूद नहीं था, इसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है, पूरी कार्यवाही छल कपट पर आधारित है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ द्वारा प्रदत्त धन वसूली की डिक्री स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, इसलिए अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांकित 30/04/15 को अपास्त किया जाए।

7. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि —

1 “क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय व डिक्री दिनांकित 30/04/15 विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?”

निष्कर्ष के आधार

8. अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने विस्तृत अंतिम तर्कों में मूलतः यह व्यक्त किया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/प्रत्यर्थी का धन वसूली का वाद जो प्र०पी०-03 के दस्तावेज पर आधारित है, उक्त दस्तावेज के अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित होने के बावजूद और उनकी आपत्ति को अस्वीकार कर उसे साक्ष्य में ग्रहण कर गंभीर विधिक त्रुटि है, क्योंकि उधारी के संव्यवहार के अनुबंध की लिखापट्टी उधार राशि की 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी पर ही हो सकती है, जबकि प्र०पी०-03 केवल 100/-रूपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पर निष्पादित है, इसलिए सर्वप्रथम तो वह साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है, इसलिए उक्त आधार पर ही वादी/प्रत्यर्थी का मूल वाद खारिजी योग्य था और आलोच्य निर्णय, डिक्री भी खारिजी योग्य है, तथा यह भी तर्क किया है, कि प्र०पी०-03 की लिखापट्टी गोहद थाने में कराई गई, जो वादी/प्रत्यर्थी ने अपने हितबद्ध व्यक्तियों को साक्षी बनाकर दबाब में कराई और उस पर जबरदस्ती उसके हस्ताक्षर पुलिस से सांठगांठ कर बन्द करा के करा लिए और जब वह थाने से बाहर आया तब उसने जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लेने की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को की थी, जिसकी जांच हुई थी, जो

जांच में भी सिद्ध पाया, किंतु पुलिस ने दीवानी विवाद होने के कारण कार्यवाही नहीं की।

9. अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है, कि प्र०पी०-03 की लिखापढी वाला स्टाम्प वादी/प्रत्यर्थी ने स्वयं स्वयं खरीदा, किस प्रयोजन से खरीदा इसका उसमें उल्लेख नहीं है, जिस स्टाम्प बेन्डर के साथ वादी/प्रत्यर्थी काम करता है, उसी से खरीदा और वह भी लिखापढी से करीब एक महीने पहले का है, तथा प्र०पी०-03 की लिखापढी वादी/प्रत्यर्थी के हितबद्ध व्यक्ति राजेश कुमार दुबे ने थाने में जबरदस्ती दबाव देकर करा ली, इसलिए निर्णय डिक्री निरस्ती योग्य है, और ऋण को लेनदेन सिद्ध नहीं है, साहूकारी विधान का भी उल्लंघन किया गया है, इसलिए अपील स्वीकार कर निर्णय डिक्री को अपास्त किया जाए।

10. प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए, मूलतः यह तर्क किया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री उचित एवं दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य पर आधारित है, तथा प्रतिवादी/अपीलार्थी विचारण न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, निर्विवादित रूप से दोनों पक्षकार स्टाम्प बेन्डरी का काम करते हैं, एक दूसरे से पहले से परिचित हैं, पास-पास बैठते हैं, उसके बावजूद प्रतिवादी/अपीलार्थी ने वादी/प्रत्यर्थी को जानने से ही इन्कार किया है, जिससे प्रतिवादी/अपीलार्थी प्रारंभ से ही सत्यता का पालन नहीं कर रहा है, वादी/प्रत्यर्थी से अपीलार्थी/प्रतिवादी ने कब पैसे लिए यह साक्ष्य में ही आ चुका है, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में भी रेखांकित किया है, तथा वादी/प्रत्यर्थी से प्रतिवादी/अपीलार्थी ने 75,000/-रुपए (पिच्चतर हजार रुपये) उधार प्राप्त किए थे और उसमें से कोई राशि नहीं चुकाई, जिसके कारण उधार राशि की स्वीकारोक्ति का प्र०पी०-03 का दस्तावेज थाना गोहद में निष्पादित हुआ था, क्योंकि दोनों के मध्य विवाद होते-होते थाने तक चला गया था, शिकायत हुई थी, जिस पर से थाने पर प्र०पी०-03 की लिखापढी उभय पक्ष एवं दस्तावेज लेखक और गवाहों के समक्ष हुई थी, उसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, तथा दस्तावेज लेखक और पंचसाक्षी ने वादी/प्रत्यर्थी का समर्थन किया है और उसका खण्डन नहीं हुआ है, तथा स्वयं प्रतिवादी/अपीलार्थी ने प्र०पी०-03 पर हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, इसलिए उसका हस्ताक्षर छल कपट प्रपीडन पर आधारित है, या नहीं इसका सिद्धि भार प्रतिवादी पर था, किंतु प्रतिवादी/अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य से कुछ भी सिद्ध नहीं किया है, बल्कि स्वयं प्रतिवादी/अपीलार्थी के कथन से वादी/प्रत्यर्थी के आधारों का समर्थन हुआ है, और अपीलार्थी/प्रतिवादी के वादोत्तर के अभिवचन तथा मौखिक साक्ष्य में स्टाम्प छीनने के बिन्दु पर विरोधाभासी स्थिति है, इसलिए प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल नहीं है और इसी आधार पर निरस्ती योग्य है, तथा यह भी तर्क किया है, कि प्र०पी०-03 का दस्तावेज ऋण स्वीकृति के लिए सम्पादित हुआ था, इसलिए उसमें कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं है और ऐसे दस्तावेज को स्टाम्प पर लिखे जाने तक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्टाम्प वादी/प्रत्यर्थी खरीद कर लाया, इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और अपील में जो आधार लिए हैं, वे मूल अभिलेख के प्रतिकूल हैं, इसलिए अपील निरस्त की जाए।

11. वधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि जहां दोनों पक्षों की ओर से

साक्ष्य पेश की जाती है, वहां अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **ग्याराम विरुद्ध सीताबाई 1994 भाग-01 एम0पी0जे0आर0 पेज-148** में दिया मार्गदर्शन अवलोकनीय है, विचाराधीन मामले में भी इस न्यायालय की हैसियत प्रथम अपीलीय न्यायालय की है, इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय को निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करना होता है।

12. यह भी सुस्थापित सिद्धांत है, कि विचारण न्यायालय के समक्ष जो आपत्तियां किसी पक्षकार द्वारा ली जाती हैं, उन्हें वह अपील स्तर पर भी उठा सकता है, इस संबंध में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा **न्याय दृष्टांत प्रेमचंद्र वि0 सुमेरचंद्र 1985 एम0पी0 विकलीनोट शार्ट नोट 308** में यह मार्गदर्शन दिया है कि, अपील न्यायालय अंतरिम आदेशों को भी निर्णय के समय विचार में ले सकती है, तथा इसी प्रकार **महेशचंद्र वि0 नगरपालिका मुरैना 1993 भाग-2 एम0पी0 विकली नोट शार्टनोट 216** में भी यह प्रतिपादित किया है कि धारा 96 सी0पी0सी0 के अंतर्गत होनेवाली अपील के सभी अंतरवर्तीय आदेशों की छानवीन हो सकती है, ऐसे में क्रॉसऑब्जेक्शन पेश ना होने के बावजूद उत्पन्न बिन्दुओं पर अपील न्यायालय निष्कर्ष देने में सक्षम है तथा अंतर्वर्तीय आदेशों की मिमानसा करने में भी सक्षम है। इसलिए प्र0पी0-03 का अपर्याप्त स्टाम्प पर निष्पादित होने का बिन्दु अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विनिश्चित किया जा सकता है।

13. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है, कि मूल वाद में वादी/प्रत्यर्थी की ओर से स्वयं कमलेश ओझा व0सा0-01 के अलावा प्र0पी0-03 के अनुप्रमाणक साक्षी देवेन्द्र कुमार को व0सा0-02 के रूप में तथा प्र0पी0-03 के लेखक राजेश कुमार दुबे को व0सा0-03 के रूप में परीक्षित कराया है, वादी/प्रत्यर्थी की ओर से अपने वाद आधारों के समर्थन में प्र0पी0-01 लगायत प्र0पी0-06 दस्तावेज भी साक्ष्य में पेश किए हैं, खण्डन में अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा स्वयं का प्र0सा0-01 के रूप में साक्ष्य दिया है और सूचना के अधिकार के तहत एस0डी0ओ0पी0 कार्यालय गोहद को की गई शिकायत के संबंध में हुई जांच संबंधित दस्तावेज की प्र0डी0-01 लगायत प्र0डी0-04 के रूप में पेश किए हैं, इस तरह से प्रकरण में उभय पक्ष की ओर से मौखिक व दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई है, किसी भी पक्ष की ओर से ऐसा आधार नहीं लिया गया है, कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर विचारण न्यायालय में प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात् उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर साम्या के सिद्धांत के तहत विचारण न्यायालय में प्राप्त होना उपधारित होता है, यह सुस्थापित विधि है, कि जहां उभय पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है, वहां संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इस दृष्टि से भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय व प्रदत्त डिक्री का मूल्यांकन करना होगा।

14. सर्वाधिक आपत्ति अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्र0पी0-03 के दस्तावेज के मुद्रांकन शुल्क को लेकर की गई है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य के दौरान भी अपीलार्थी भी अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्र0पी0-03 के दस्तावेज को प्रदर्शित करते समय आपत्ति ली गई थी, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ऋण की स्वीकृति एवं भवष्य में भुगतान किए जाने के करार का दस्तावेज होना मानते हुए, आपत्ति को निरस्त कर उसे प्र0पी0-03 के रूप में अंकित किए जाने की

(6)

सिविल अपील क्र०-11/2015

अनुमति दी गई और उसे साक्ष्य में ग्राह्य योग्य माना। प्र०पी०-03 के संबंध में इस आशय की वादी साक्ष्य में स्वीकारोक्ति आई है, कि प्र०पी०-03 का दस्तावेज जिस 100/-रुपए के स्टाम्प पर लेख किया गया, उसे स्वयं वादी ने विनोद कुमार उपाध्याय स्टाम्प बेन्डर जिसके अधीन वह हेल्पर के रूप में कार्य करता था, उससे खरीदा था और उसने यह भी स्वीकार किया है, कि वह निष्पादन दिनांक 25/01/11 के करीब एक माह पूर्व खरीदा था, जैसा कि व०सा०-01 के पैरा-05 एवं 10 में भी आया है, जिसमें उसने यह भी कहा है, कि कहा है, कि स्टाम्प अनुबंध कि लिए लिया गया, क्योंकि परचा "अ" बनाया गया है, जो अनुबंध के लिए होता है। इससे यह तो स्पष्ट होता है, कि प्र०पी०-03 निष्पादन दिनांक से करीब एक माह पहले दिनांक 30/12/10 को खरीदा गया, स्टाम्प के पृष्ठ भाग पर दोनों पक्षकारों के नाम, बलिदयत और पते का उल्लेख है, तथा स्टाम्प का जो जावक क्रमांक 8870/30/12/10 के आगे "अ" शब्द लिखा हुआ है, अर्थात् वह अनुबंध के परिपेक्ष्य में क्रय किया जाना दर्शित होता है।

15. प्र०पी०-03 के शीर्षक में अनुबंधपत्र अवश्य लिखा है, दोनों पक्षों के उस पर हस्ताक्षर हैं तथा गवाहों के एवं दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर हैं, जैसी कि अनुबंध के लिए प्रक्रिया है, किंतु कोई दस्तावेज किस प्रकृति का है, यह दस्तावेज के निबंधनों से ही एकत्र किया जा सकता है, जैसा कि न्याय दृष्टांत **रमाकांत दुबे विरुद्ध सुरेन्द्र चन्द्र दुबे एम०पी०डब्लू०एन० 1990 भाग-2 शॉर्टनोट 1982** में माननीय उच्च न्यायालय सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए यह मार्गदर्शन दिया है, कि प्रत्येक दस्तावेज के निबंधनों से ही उसकी प्रकृति एवं आशय एकत्र किए जाने चाहिए, इस दृष्टि से प्र०पी०-03 के विवरण को देखा जाए तो उसमें इस आशय का विवरण है, कि मनोज जाटव अर्थात् अपीलार्थी/प्रतिवादी ने कमलेश ओझा अर्थात् प्रत्यर्थी/वादी से 75,000/-रुपए (पिच्चतर हजार रुपये) घरेलू खर्च हेतु नगद प्राप्त किए थे और राशि घरेलू कार्यों में खर्च हो जाना तथा राशि नगद रूप से देने में असमर्थ होने पर उनके मध्य दस्तावेज मुताबिक यह तय हुआ था, कि मनोज कमलेश को प्रत्येक माह की एस से पांच तारीख के बीच 2,000/-रुपए प्रतिमाह के हिसाब से पूर्ण रकम 75,000/-रुपए (पिच्चतर हजार रुपये) चुकता होने तक अदा करेगा, अदा करने में यदि किसी तरह की टालमटोल करता है, तो कमलेश न्यायालयीन कार्यवाही द्वारा उसे वसूल कर सकेगा। इससे यह अर्थ निकलता है, कि 75,000/-रुपए (पिच्चतर हजार रुपये) का लेनदेन पहले हुआ और प्र०पी०-03 की कार्यवाही उसके स्मरणपत्र के रूप में या रशीद के रूप में इस शर्त के साथ हुई थी, कि राशि का भुगतान किस तरह से किया जाएगा। ऐसी स्थिति में प्र०पी०-03 विशुद्ध रूप से, ऋण के अनुबंध की लिखापट्टी के दस्तावेज के रूप में नहीं हो सकता है, बल्कि वह एक तरह से रशीद की श्रेणी में आता है।

16. भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा-2 (23) में रशीद को परिभाषित किया गया है, जिसके मुताबिक रशीद के अंतर्गत कोई पत्र ज्ञापन या लेख है—

- (क) जिसके द्वारा किसी धनराशि या किसी विनिमय-पत्र, चैक या वचन पत्र के प्राप्त किए जाने की अभिस्वीकृति दी गई है, या
- (ख) जिसके द्वारा कोई अन्य जंगम सम्पत्ति किसी ऋण की अदायगी में प्राप्त हो जाने की अभिस्वीकृति दी गई है, या
- (ग) जिसके द्वारा किसी ऋण या मांग या ऋण या मांग के किसी भाग की

अदायगी हो जाने या उन्मोचित किये जाने की अभिस्वीकृति दी गई है, या (घ) जो किसी ऐसी अभिस्वीकृति को संज्ञापित या द्योतित करती है, और चाहे वह किसी व्यक्ति के नाम से हस्ताक्षरित हो या न हो।
चूंकि प्र०पी०-03 के मुताबिक 75,000/-रुपए (पिच्चतर हजार रुपये) नगद उधार प्राप्त करने

अभिस्वीकृति है, ऐसे में प्र०पी०-03 को रशीद की श्रेणी में माना जाएगा और रशीद के लिए ऋण राशि पर 4 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देया नहीं होता है, बल्कि उसके संबंध में उक्त अधिनियम की धारा-53 आकर्षित होती है, जिसमें यह प्रावधान है, कि जो धारा-2 (23) द्वारा परिभाषित रशदी है, और जो किसी धनराशि या किसी अन्य सम्पत्ति के लिए है, जिसकी रकम या मूल्य 20/-रुपए से अधिक है, उस पर उचित स्टाम्प शुल्क बीस पैसे बताई गई है, कुछ प्रकृति की रशीदों में छूट भी प्रदान की गई है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा-53 में "क" लगायत "ज" में उपबंधित है, ऐसे में प्र०पी०-03 के संबंध में अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की यह आपत्ति कि उस पर ऋण राशि 75,000/-रुपए (पिच्चतर हजार रुपये) की 4 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क अदा होने पर ही वह साक्ष्य में ग्राह्य योग्य होगी, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र०पी०-03 को साक्ष्य ग्राह्य कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

17. उभयपक्ष की साक्ष्य में प्र०पी०-03 के संबंध में इस बात की सकारात्मक साक्ष्य आई है, कि प्र०पी०-03 की कार्यवाही थाना गोहद के परिसर में हुई, स्वयं अपीलार्थी/प्रतिवादी भी अपने अभिसाक्ष्य में थाना गोहद परिसर में प्र०पी०-03 लिखा जाना तथा उस पर हस्ताक्षर करने को स्वीकार करता है, अर्थात् प्र०पी०-03 के डी से डी भाग के हस्ताक्षर प्रतिवादी/अपीलार्थी के ही है, प्रतिवादी/अपीलार्थी का मुख्य विरोध इस बात को लेकर है, कि उक्त हस्ताक्षर उससे जबरदस्ती कराए या छल कपट से करा लिए या षणयंत्रपूर्वक करा लिए, इन सभी स्थितियों में प्रमाण भार अपीलार्थी/प्रतिवादी पर इस बात का आ जाता है, कि वह अपने हस्ताक्षरों को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा-15 लगायत 22 में उपबंधित प्रपीडन असम्यक असर कपट, दुर्व्यपदेशन, भूल आदि के बिन्दु को स्थापित करे क्योंकि इस तरह के बिन्दु को उठाने वाले पक्षकार पर ही उन्हें प्रमाणित करने का भार होता है, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **हरदयाल सिंह विरुद्ध आराम सिंह एवं अन्य विरुद्ध 2001 भाग-01 एम०पी०जे०आर० पेज-339** में साक्ष्य विधान की धारा-101 की व्याख्या करते हुए प्रतिपादित किया है, ऐसे में हस्ताक्षर बलपूर्वक कराए, धोखे से कराए, दबाव में कराए या भूल से करा लिए या, कर दिए इन बिन्दुओं को प्रमाणित करने का भार अपीलार्थी/प्रतिवादी पर था, किंतु इस संबंध में उसकी ओर से कोई सुदृढ साक्ष्य पेश नहीं की गई है, न ही उसके आधारों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश है, यदि यह माना जाए कि प्रमाण भार वादी पर है, तो वादी की ओर से प्रकरण में वाद आधारों को स्वयं की साक्ष्य से स्पष्ट किया है जिसका समर्थन प्र०पी०-03 का पंचसाक्षी देवेन्द्र कुमार व०सा०-02 एवं प्र०पी०-03 का दस्तावेज लेखक रहा राजेश कुमार दुबे व०सा०-03 ने स्पष्टतः किया है, जिनके प्रतिपरीक्षण में अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से जो सुझाव दिए गए उनमें खण्डन नहीं हुआ है, बल्कि परिस्थितियां स्पष्ट अधिक हुई हैं और स्वयं अपीलार्थी/प्रतिवादी मनोज जाटव व०सा०-01 अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-11 में यह स्वीकारोक्ति करता है, कि **"उसने दावे के अतिरिक्त वादी कमलेश से कभी कोई लेनदेन नहीं किया"**, तथा यह भी स्वीकार किया कि प्र०पी०-06 के पद

(8)

सिविल अपील क्र०-11/2015

क्रमांक 03 में ए से ए भाग में उल्लेखित वाक्य “ कमलेश ओझा व प्रार्थी के मध्य कुछ लेनदेन पूर्व का था” लेख हुआ है, प्र०पी०-06 वह दस्तावेज है, जो स्वयं अपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वारा धौंस दबाव और मरपीट कर के स्टाम्प की लिखापढी पर उसके हस्ताक्षर करा लेने पर निष्पक्ष जांच हेतु पुलिस अधीक्षक भिण्ड को दिनांक 31/01/11 को की गई लिखित शिकायत है, जिसके पद क्रमांक 03 में उसके द्वारा वादी से पूर्व का कुछ लेनदेन होना और उसका भुगतान उसके व उसकी मां द्वारा वादी कमलेश को कर दिया जाना और वर्तमान में कोई लेनदेन न होने और कोई बकाया न होने की बात लिखी गई थी, जबकि स्वयं प्रतिवादी अपने अभिवचनों में वादी से जान पहचान होने से इन्कार करते हुए आया है, जबकि पैरा-06 में उसकी यह स्वीकारोक्ति रही है, कि दोनों अगल-बगल में बैठते हैं, और स्टाम्प बेन्दरी का काम करते हैं, इससे अपीलार्थी पर जो प्रमाण भार धोखा, दबाव, उत्पीडन से प्र०पी०-03 पर हस्ताक्षर करा लेने का था, उसे वह स्पष्ट नहीं कर सका है, ऐसे में वादी के आधारों को जिस मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थन है, उसे बल प्राप्त होता है।

18. जहां तक यह बिन्दु उठाया गया है, कि स्टाम्प की लिखापढी में पुलिस का भी षणयंत्र रहा क्योंकि अभिवचनों में अपीलार्थी/प्रतिवादी थाने के अंदर दबाव में हस्ताक्षर कराना कहकर आया है, और उसने पुलिस का प्रभाव भी बताया है, किंतु साक्ष्य में यह स्पष्ट आया है, कि प्र०पी०-03 की लिखापढी जो थाना गोहद के परिसर में आवश्य हुई किंतु वहां पुलिस की मौजूदगी नहीं थी, जैसा कि व०सा०-01 लगायत व०सा०-03 की अभिसाक्ष्य में स्पष्टतः आया है।

19. थाना गोहद में किन परिस्थितियों में लिखापढी हुई, यह प्र०पी०-03 के लेखक व०सा०-03 ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट करते हुए बताया है, कि प्र०पी०-03 की लिखापढी थाने पर दिन के करीब 12:00-01:00 बजे हुई थी, उसके पास वादी और प्रतिवादी दोनों के फौन आए थे, तब वह थाने गया था, वादी, प्रतिवादी दोनों ने बातचीत की थी, और राजीनामा की कहकर उसे थाने पर बुला लिया था, जहां लिखापढी उसके द्वारा की गई थी, उसने यह भी कहा है, कि अपीलार्थी/प्रतिवादी मनोज को उसने यह सलाह भी दी थी, कि लिखापढी न्यायालय में करा लो तो मनोज ने कहा था, कि आपस में राजीनामा हो गया है, इसलिए यहीं पर लिखापढी कर लो, इसलिए सहमति से लिखापढी की गई थी, तथा मनोज ने स्वीकार किया था, कि कमलेश से उसने 75,000/-रुपए (पिच्चतर हजार रुपये) नगद प्राप्त किए थे, जो घरेलू कार्य में खर्च हो गए थे, जो वह एक साथ देने में असमर्थ है, इसलिए वह 2,000/-रुपए प्रतिमाह की दर से हर महीने की 10 तारीख से पहले अदा करता रहेगा, रुपए देने में टालमटोल करने पर कमलेश न्यायालयीन कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा, उसने यह स्वीकार किया कि प्र०पी०-03 अलग स्याही से लिखा गया है और हस्ताक्षर अलग स्याही से है, किंतु दस्तावेज घर से लिखकर ले जाने और अपने व पुलिस के दबाव से जबरदस्ती मनोज के हस्ताक्षर करा लेने के मना किया है।

20. अपीलार्थी/प्रतिवादी ने दस्तावेज लेखक और पुलिस पर दबाव से हस्ताक्षर कराने का आक्षेप मौखिक रूप से अवश्य किया है किंतु अपीलार्थी/प्रतिवादी ने यह नहीं बताया है, कि दस्तावेज लेखक राजेश कुमार का दबाव किस वजह से था, उसका क्या हित है, ऐसे में औपचारिक रूप से किया गया आक्षेप विधिक बल

नहीं रखता है, प्र०पी०-03 की लिखापढी थाना परिसर में होने के आधार पर प्रपीडन, असम्यक् असर, दुर्व्यपदेशन, भूल, कपट पर आधारित, स्वीकारोक्ति होना स्पष्ट नहीं होता है, ऐसे में वादी/प्रत्यर्थी की साक्ष्य अपीलार्थी/प्रतिवादी की साक्ष्य के वनस्पत अधिक प्रबल और सुदृढ़ है, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है, कि अपीलार्थी/प्रतिवादी ने जो दस्तावेज प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-04 के रूप में पेश किए वे सूचना के अधिकार के तहत पुलिस में की शिकायती आवेदन की जांच पर आधारित है, प्र०डी०-01 में जो प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, उसमें शिकायत का जांच प्रतिवेदन, जिसे प्र०पी०-02 के रूप में पेश किया गया है, उसके साथ चार कथनों की प्रतियां भी अपीलार्थी/प्रतिवादी ने प्राप्त की थीं, किंतु उसमें से केवल दो कथनों की प्रतियां प्र०डी०-03 और प्र०डी०-04 के रूप में राजेश कुमार दुबे उर्फ गुड्डू व कमलेश ओझा के ही पेश किए, पुलिस जांच में उसका अर्थात् मनोज जाटव और उसकी मां का कथन होना भी बताया है, जिनकी प्रमाणित उसने पेश नहीं की हैं, इससे भी अपीलार्थी/प्रतिवादी का न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से न्यायदान के लिए आना परिलक्षित नहीं होता है।

21. अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा एक आधार यह भी लिया गया है, कि वादी/प्रत्यर्थी द्वारा एक आधार यह भी लिया गया है, कि वादी/प्रत्यर्थी उसकी स्टाम्प बेन्डरी छुड़ाना चाहता है, इसलिए झूठी कार्यवाही की गई है, जैसा कि वह मौखिक साक्ष्य में प्रथम बार बताता है, अभिवचनों में यह आधार वादोत्तर के माध्यम से नहीं लिया गया है, ऐसे में बगैर अभिवचनों के प्रस्तुत साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं है, जैसा कि न्याय दृष्टांत सी०व्ही० रामचंद्रन विरुद्ध व्ही०एस० नारायण 1963 एम०पी०एल०जे० शार्टनोट 217 में प्रतिपादित है तथा न्याय दृष्टांत ए०आई०आर० 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 1242 रामस्वरूप गुप्ता विरुद्ध विशुनारायण इन्टर कॉलेज में यह प्रतिपादित किया गया है, कि पक्षकार को सभी आवश्यक और जरूरी तथ्यों को अपने अभिवचनों में लेना अनिवार्य है, जिन पर उसका केस आधारित हो, तथा उस पर साक्ष्य देना भी आवश्यक है, और यह भी प्रतिपादित किया है, कि बगैर अभिवचन प्रस्तुत साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं होती है।

22. मूल उधारी का जहां तक प्रश्न है, उसके संबंध में वादपत्र के अभिवचनों में कण्डिका-03 में घर खर्च के लिए 75,000/-रुपए (पिच्चतर हजार रुपये) प्रतिवादी द्वारा प्राप्त करना और पूर्व परिचय के आधार पर विश्वास करके दे देना बताया गया है, उसी अनुरूप मुख्य परीक्षण में वादी कमलेश व०सा०-01 ने साक्ष्य दी है, जिसमें लेनदेन गवाहों के समक्ष होना बताया है, जिसके बारे में पैरा-06 में उसने यह स्थिति स्पष्ट की है, कि मनोज ने उससे घर खर्च के लिए उक्त रूपए 15 सितम्बर 2010 को दोपहर के समय कचहरी में लिए थे, उस समय और कोई नहीं था, पैरा-07 में उसने यह भी स्पष्ट किया है, कि उस समय कोई लिखापढी नहीं कराई गई थी, क्योंकि 15 दिन के लिए रूपए उधार लिए गए थे और बगल में बैठकर स्टाम्प बेचता था इसलिए जान-पहचान थी, इस कारण उधार दे दिया था, अर्थात् मूल संव्यवहार मौखिक रूप से हुआ, जिसमें 15 दिन की मियाद थी और वह मियाद पूरी हो जाने के बाद उधारी चुकता न करने पर पुलिस में शिकायत करना और फिर उसी सिलसिले में थाने पर पहुंचना था, वहां प्र०पी०-03 की लिखापढी होना परिलक्षित होता है, ऐसे में न तो प्र०पी०-03 पर अपीलार्थी/प्रतिवादी के जबरदस्ती हस्ताक्षर

कराया जाना स्पष्ट होता है, न ही स्टाम्प बेन्डरी का लाईसेंस को छुड़ाए जाने के आशय से कोई कार्यवाही किया जाना परिलक्षित होता है, ऐसी स्थिति में वादी की साक्ष्य विश्वसनीय मानी जाएगी, केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है, कि रूपए गवाहों के समक्ष देना कहा गया और वादी ने साक्ष्य में कोई गवाह न होना कहा, क्योंकि प्र०पी०-03 जो रशीद के रूप में है, वह सम्यक रूप से प्रमाणित की गई है, प्र०पी०-03 पुलिस दबाब में न लिखाया जाना देवेन्द्र कुमार व०सा०-02 के अभिसाक्ष्य से भी स्पष्ट होता है, जिसमें उसने पैरा-03 की लिखापट्टी थाने के बाहर मैदान में होना और उस समय थाना प्रभारी का न होना बल्कि मनोज, कमलेश, दुबेजी अर्थात् राजेश कुमार दुबे और मनीराम का मौजूद होना बताया है, जिसकी पुष्टि राजेश व०सा०-03 से भी हुई है, दोनों ही उक्त साक्षियों की कोई हितबद्धता प्रकट नहीं हुई है, जो अपीलार्थी/प्रतिवादी को नुकसान पहुंचाने की नियत रखते हों, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ ने वादी की साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर विधि या तथ्य की कोई भूल नहीं की है।

23. स्वयं अपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्र०डी०-02 एस०डी०ओ०पी० के पुलिस जांच प्रतिवेदन पर विश्वास कर उसे अपने आधार के समर्थन में पेश किया, जिसमें भी पृष्ठ क्रमांक 02 पर द्वितीय चरण में थाना प्रभारी की शिकायती जांच के प्रतिवेदन के संदर्भ में यह उल्लेखित किया गया है, कि पक्षकारों के मध्य उधार पैसों के लेनदेन बाबत शिकायत की गई थी, और मनोज जाटव द्वारा स्वेच्छा से उधारी के पैसे वापिस करने के संबंध में स्टाम्प लेख किया गया था, तथा तृतीय चरण में एस०डी०ओ०पी० ने भी संपूर्ण जांच पर पैसे का लेनदेन का विवाद होने से दीवानी प्रकृति का मामला होने से दोनों पक्षों को आपस में निपटारे के लिए कहा गया था, अंतिम चरण में यह भी एस०डी०ओ०पी० ने स्पष्ट किया है, कि गुड्डू दुबे अर्थात् प्र०पी०-03 के लेखक राजेश दुबे द्वारा आवेदक अर्थात् मनोज को किसी प्रकार की धौंस धपट देना या अपने बड़े भाई के न्यायाधीश के पद का प्रभाव दिखाना प्रमाणित नहीं पाया गया, इससे व०सा०-03 राजेश कुमार दुबे पर अपीलार्थी/प्रतिवादी मनोज के द्वारा जो आक्षेप किया गया, उनका भी खण्डन हो जाता है, ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादप्रश्न क्रमांक 01 और 02 को प्रमाणित मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

24. जहां तक अपीलार्थी/प्रतिवादी का यह आधार है, कि अभिवचनों के अनुरूप वादप्रश्नों की रचना नहीं हुई, यह भी ग्राह्य योग्य नहीं है, क्योंकि प्र०पी०-03 पर प्रतिवादी/अपीलार्थी ने हस्ताक्षर तो स्वीकार किए थे, स्वेच्छा से करने से इन्कार किया था और उधारी के संव्यवहार से इन्कार किया, ऐसे में मूल विवाद के निपटारे हेतु यथोचित वादप्रश्न निर्मित किया जाना पाया जाता है।

25. वादी/प्रत्यर्थी पर इस आधार पर भी अविश्वास नहीं किया जा सकता, कि उसने अभिवचनों में स्वयं को मजदूरी पेशा बताया है, जबकि वह स्टाम्प बेन्डरी का काम करता है, क्योंकि संव्यवहार के समय वह विनोद कुमार उपाध्याय स्टाम्पबेन्डर के अधीन हेल्पर के रूप में कार्य करना कहता है, ऐसे में उसे लाईसेंसी स्टाम्पबेन्डर तत्समय नहीं माना जा सकता है, वर्तमान में अवश्य होना पाया गया है।

26. अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने साहूकारी विधान के

प्रावधानों का उल्लंघन होना भी अपने आधारों में और तर्कों में कहा है, इस संबंध में मध्यप्रदेश साहूकारी विधान 1934 की धारा-3 लगायत 07 के प्रावधान अवलोकनीय हैं, जिसके अनुसार-साहूकार द्वारा लेखों का रखा जाना एवं उसके विवरणों का ऋणी को दिया जाना-(1) प्रत्येक साहूकार-

(क) हर एक ऋणी को दिए गए किसी ऋण के समस्त संव्यवहार का अलग से (ए) खाता नियमित रूप से रखेगा,

(ख) ऐसे ऋणी को प्रत्येक वर्ष में खाते का स्पष्ट विवरण एवं स्वयं द्वारा या उसके (बी) अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित देगा, जिसमें ऐसे ऋणी के विरुद्ध निकल रहे बकाया या ऐसे दिनांक को जो राशि बकाया रही हो, तथा ऐसे क्षेत्रों में जो कि विहित किए जावें देगा। ऐसे खाते के विवरण में ऋण से संबंधित समस्त संव्यवहार जो कि वर्ष के दौरान जिसका कि वह विवरण हो, उस जिले की न्यायालयीन भाषा में, जिसमें ऋणी का अधिवास हो, तथा ऐसे तरीके से ऐसे ब्योरो के साथ तथा ऐसे दिनांक को जो कि विहित किया जावे दिए जावेंगे।

(ग) किसी ऋण को खण्ड (बी) के अधीन दिए गए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार को देगा।

27. उक्त अधिनियम की धारा-04 में यह प्रावधान किया गया है, कि धारा-03 के पालन न करने के संबंध में प्रतिवादी प्रारंभिक स्तर पर वदोत्तर में आपत्ति ले सकता है, और उसे प्रारंभिक स्तर पर ही आपत्ति लेनी चाहिए किंतु न्याय दृष्टांत **श्रीकृष्ण विरुद्ध महादेव 1959 जे०एल०जे० 135** में यह मार्गदर्शित किया गया है, कि यदि प्रतिवादी ने आपत्ति न भी ली हो तो न्यायालय को स्वयं यह देखना चाहिए कि धारा-03 के प्रावधानों का पालन किया गया है, अथवा नहीं। उक्त अधिनियम की धारा-03 के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है, कि यदि साहूकार के द्वारा इस धारा के प्रावधानों का पालन न किया जावे तो उस स्थिति में वह वाद प्रस्तुति दिनांक तक की अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा, जैसा कि न्याय दृष्टांत **नथनसिंह विरुद्ध नारायणसिंह 1962 जे०एल०जे० एस०एन० 335** में मार्गदर्शित है।

28. उक्त साहूकारी विधान के संदर्भ में प्र०पी०-03 को देखा जाए तो प्र०पी०-03 में ब्याज की कोई शर्त ही तय नहीं है, ऐसे स्थिति में सर्वप्रथम तो मध्यप्रदेश साहूकारी अधिनियम 1934 प्रकरण में आकर्षित ही नहीं होता है, मूल वाद को देखा जाए तो वादी/प्रत्यर्थी द्वारा 75,000/-रुपए (पिच्चतर हजार रुपये) मूलधन और ब्याज की मांग की गई थी, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्र०पी०-03 के संव्यवहार दिनांक 25/01/11 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की डिक्री प्रदान की है, जबकि ब्याज की शर्त तय नहीं थी, ऐसे में ब्याज राशि अनुतोष के रूप में जो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिलाई गई है, उसे उचित नहीं माना जा सकता है, ऐसे में वादप्रश्न क्रमांक 03 के निराकरण में ब्याज राशि के संबंध में ही मात्र प्रस्तुत अपील स्वीकार की जा सकती है, मूल ऋण राशि 75,000/-रुपए (पिच्चतर हजार रुपये) (पिच्चतर हजार रुपये) के संबंध में मूल वाद उचित रूप से डिक्री किया जाना पाया जाता है। फलस्वरूप मूलधन के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री की पुष्टि करते हुए, अपीलार्थी/प्रतिवादी की उक्त प्रथम सिविल ब्याज की राशि के बिन्दु पर आंशिक रूप से स्वीकार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की प्रदत्त डिक्री को परिवर्धित करते हुए निम्न आशय की डिक्री पुष्टि करते हुए प्रदत्त की जाती है।

(1) अपीलार्थी/प्रतिवादी मनोज जाटव प्रत्यर्थी/वादी कमलेश ओझा को दिनांक 15 सितम्बर 2010 को प्राप्त ऋण राशि 75,000/-रुपए (पिच्चतर हजार रुपये) दो माह के भीतर भुगतान कर उसकी रशीद भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा-2 (23) (ख) के तहत प्राप्त करे अन्यथा दो माह पश्चात उसे उक्त 75,000/-रुपए (पिच्चतर हजार रुपये) की राशि पर पूर्ण आदायगी होने तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करना होगा, जिसे प्रत्यर्थी/वादी भुगतान न होने पर निष्पादन प्रक्रिया के तहत अपीलार्थी/प्रतिवादी से वसूल कर सकेगा।

(2) चूंकि मूल वाद एवं अपील दोनों ही मूलधन के संबंध में वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में डिक्री हुए हैं, इसलिए अपीलार्थी/प्रतिवादी अपने प्रकरण व्यय के साथ प्रत्यर्थी/वादी का व्यय भी वहन करेगा, जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सारणी मुताबिक जो भी कम जो वह मध्यप्रदेश सिविल नियम एवं आदेश के नियम 523 के तहत जोड़ा जाए।

तदनुसार संशोधित डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक- 09 दिसंबर 2016

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड